1 Confrolented

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW JUSTICE & LEGISLATIVE ACCAIRS) 5-SHAM NATH MARG DELHI.

NO. F. 13 (1)/95-Judl .II/L .A. 1940

To

The Deputy Secretary, (Admn.). Delhi Legislative Assembly Secretariate, old Secretariate, Delhi.

Gazette Notification/ Supply of authenticated copies of the Bill No. 1 of 1995 & Bill No. 2 Subject: of 1995. assented by the Lt. overnor.

Sir,

I am directed forward herewith the following Gazette Notification containing the Act passed by the Legislative Assembly of the N.C.T. Delhi and assented by the Lt. Governor, Delhi and authenticated copies of the Bill No.1 of 1995, Bill No.2 9f 1995 assented by the Kt. Governor.

ISC L-A

Sr. No. No. and date of Gazette Notification.

Particulars of the Act passed.

4th April 1995 P.R.D. No. 106.

-do-

The Appropriation No.1 Act. 1995. Delhi Act No.1 of 1995.

The Appropriation (Vote on Account) Act. 1995 DELHI ACT NO. 2 OF 1995.

- Authenticated copies of the Bill No.1 of 1995 2. assented by the Lt. Governor.
- Authenticated copies of the Bill No.2 of 1995 assented by the Lt. Governor .

As above.

Yours faithfully,

(R.T.L. D/SOUZA) UNDER SECRETARY (L.A.)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधार्ग EXTRAORDINARY

सं ° 70]

विल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 1995/चैन 14, 1917 DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 1995/CHAITRA 14, 1917 [पो॰ आर॰ डी॰ सं. 106 [P. R. D. No. 106

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग ग्रिधिसुचनाएं

दिल्ली**, 4 अ**प्रैल, 1995

सं. फा. 13(2)/95—त्याय-II/एल.ए./60.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 1995 को मिली अनुमित के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित इधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रशाशित किया जा रहा है।

्विनियोजन ग्रिधिनियम (संख्या 1) 1995 (दिल्ली ग्रिधिनियम संख्या 1, 1995)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथाप।रित ऋधिनियम)

एक

अधिनियम

वर्ष 1994-95 से संबंधित कार्यो के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित तिथि से भुगतान प्राधिका करने तथा कुछ और राशि का विनियो जन करने के लिये विधेयक। इसे भारतीय संविधान के 46वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये।

- (1) संक्षिप्त शीर्थक.—इस ग्रविनियम को विनियोजन (संख्या-1) ग्रविनियम, 1995 कहा जाये।
- (2) 72,39,56,000/- रुपयों का निर्गम.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विल्ली की संचित निधि में से प्रवत्त ग्रीर प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से ग्रधिक नहीं, जो कुछ प्रवावों की अदायगी के लिये बहत्तर करोड़ उन्ततालीस लाख छप्पन हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो ग्रनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 1994-95 की ग्रवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।
- (3) विनियोजन,—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किये जाने के लिये प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिये विनियोदिया की जायेगी।

823 DG/95

अनुसूची

(खण्ड 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

			()
मांग सेवाएं एवं उद्देश्य		राशि इससे ग्रहि	वक नहीं
संख्या	विधान द्वारा स्वीकृत	सभा संचित नि पर भारित	
(1) (2)	(3)	(1)	
2 सामान्य प्रशासन,		(4)	(5)
	-	448	448
5 पुलिस	120018		120018
8 समाज कल्याण		48	
10 विकास	Honsen		48
11 स्वागन जान्य रिका		479	479
1 स्वायत्त शासन निकाय तथा लोक निर्माण विभाग	584€87 ।ग	17710	€02397
लोक ऋण	9 _ †	566	566
बोड़:	704705	19251	723956

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGIS-LATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th April, 1995

No. F. 13(2) 95-Judl. II L.A. 60—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 31st March, 1995 and is hereby published for general information.

THE APPROPRIATION (NO. 1) ACT 1995

(DELHI ACT NO. 1 OF 1995)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for services in respect of the financial year 1994-95.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 46th year of the Republic of India as follows:--

- 1. Short Title.—This Act may be called the Appropriation (No. 1) Act 1995.
- of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Seventy two crores thirty

nine lakhs and fifty six thousands towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1994-95 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

(Rs. in Thousands)

12 00 10		(203. III Thousands)			
No. Purposes by the on the Legislative Consoli-Assembly dated Fund (1) (2) (3) (4) (5) 2 General Administration 4,48 4,48 5 Police 12,00,18 12,00,18 8 Social Welfare 48 48 10 Development 4,79 4,79 11 Local Self Govt. & Public Works Department 58,46,87 1,77,10 60,23,97 Public Debt 5,66 5,66	DARTES.	Sums not Exceeding			
2 General Administration 4,48 4,48 5 Police 12,00,18 12,00,18 8 Social Welfare 48 48 10 Development 4,79 4,79 11 Local Self Govt. & Public Works Department 58,46,87 1,77,10 60,23,97 Public Debt 5,66 5,66	No. Purposes	by the Legislative	on the Consoli- dated		
5 Police 4,48 4,48 8 Social Welfare 48 48 10 Development 48 48 11 Local Self Govt. & 4.79 4.79 11 Local Self Govt. & Public Works Department 58,46,87 1,77,10 60,23,97 Public Debt 5,66 5,66 FOTAL:— 70,47,05	(2)	(3)	(4)	(5)	
Public Debt 58,46,87 1,77,10 60,23,97 . 5,66 5,66	5 Police 8 Social Welfare 10 Development 11 Local Self Goyt, &		48		
	Public Debt				
	OLAL,	70,47,05	1,92,51	72,39,56	

सं. फा. 13(1)/95-न्याय-II/एल.ए./59-उपराज्ययाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्ब, 1995 को मिनी अनुपति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाणि किया जारहा है।

विनियोजन (लेखा अनुदान) अधिनियम, 1995

(दिल्ली अधिनियम संख्या 2, 1995)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित अधिनियम्)

एक क

अधिनियम

अप्रैन तथा मई 1995 की अवधि. से संबंधित कार्यों के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ राशि का विनियोजन करने के लिये विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 46वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान संमा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाये।

(1) संक्षिप्त गोर्षक.—इस ग्रधिनियमको विनियोजन (लेखा अनुदान) विधेयक, 1995 ग्रधिनियमकहा जाये।